UPRP010013992018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–06, रामपुर।

उपस्थितः–पिंकू कुमार– – – –एच0जे0एस0 (J.O.Code-UP2659)

विशेष वाद संख्याः–10/2018

CNR NO.UPRP010013992018

उत्तर प्रदेश राज्य – – – –**अभियोगी।**

बनाम

अनिल कुमार पुत्र अशर्फी लाल
निवासी आगापुर, थाना सिविल लांइस, जिला रामपुर।

– – – –**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्या–867/2017,
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–सिविल लांइस, जिला रामपुर।

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता–श्रीमती अंजू सिंह।
(सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक)
अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता–श्री शाहिद अली।

निर्णय

अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–867/2017, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत थाना–सिविल लांइस, जिला–रामपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर बाद प्रसंज्ञान सत्र वाद सं0–10/2018 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वादी मुकदमा श्रीओम शुक्ला द्वारा दी गयी तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''मैं उ0नि0 श्रीओम शुक्ला मय का0 65 रवि प्रकाश व कां0 131 योगेश कुमार थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 32 समय 14:20 बजे वास्ते देख रेख शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अभियुक्त अन्दर इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे। जब हम घूमते फिरते हुए ज्वालानगर से आगापुर रोड पर पहुंचे, तो जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति आगापुर तिराहे पर खडा है जिसके पास नाजायज चरस है यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है मुखबिर की बात पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने जनता के गवाहन फराहाम करने की कोशिश की तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये मौके से चले गये। बहालात मजबूरी हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की आपस में तलाशी ले व देकर इतमिनान किया कि किसी के पास सूचना से सबंधित नाजायज वस्तु नहीं है, हम पुलिस वालों ने मुखबिर को साथ लेकर आगापुर तिराहे से पहले बने एफ0सी0आई0 के गोदाम के पास पहुँचे तो मुखबिर ने आड

Digitally signed by PINKU KUMAR
Date: 2026.05.27 18:14:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति खडा है। वह वही व्यक्ति है, जिसके पास नाजायज चरस है और मुखबिर चला गया। बाद में हम पुलिस वालों ने घेर घोटकर समय करीब 17:00 बजे आगापुर तिराहे पर ही पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति को बताया कि हमारे पास आपके पास चरस होने की सूचना है हम पुलिस वालों ने पत्र को बताया कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष दिलवा सकते है इसका आपको विधिक अधिकार है। इस पर पकडे गये व्यक्ति ने माफी मांगते हुए बताया कि मेरे पास करीब 320 ग्राम चरस है जिसको मैं खुद भी पीता हूँ और कुछ रिक्शा चालको को भी बेच देता हूँ। पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है तो आप ही हमारी तलाशी ले लो मैं किसी मजिस्ट्रेट/पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से तलाशी लिवाना/गवाह बनाना नहीं चाहता हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते है। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा एक सहमति पत्र लिखकर तैयार किया गया। जिस पर पकडे गये व्यक्ति के हस्ताक्षर बनवाये गये। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी, इसने अपना नाम अनिल पुत्र अशर्फी लाल, निवासी आगापुर, थाना सिविल लांइस, जनपद रामपुर बताया। जामा तलाशी में पहनी शर्ट की जेब में रखी पॉलीथीन के अन्दर रखा काला पदार्थ बरामद हुआ। जिसको खोलकर सूंघा व हमराहीयान को भी सुंघाया गया, जिसमें से चरस की बू आ रही है अपने पास किट में से बाट तराजू को निकालकर बरामद चरस का वजन किया गया तो इसका वजन 320 ग्राम पाया जिसको पुनः उसी थैली में रखकर सफेद कपडे में रखकर सिलकर सर्वे मुहर कर नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। दौराने गिरफ्तारी एवं बरामदगी मुझ उ0नि0 द्वारा पुनः जनता के गवाहान फराहाम करने की कोशिश की तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नही हुआ। फर्द मौके पर ही मुझ उ0नि0 द्वारा तैयार कर हमराह कर्मचारीगणों को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशो का पूर्ण पालन किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की सूचना फोन पर मुझ उ0नि0 द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी को दी गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर उचित माध्यम से परिवाजनों को दी जायेगी। बरामद माल में से नमूना हेतू माल मा0 न्यायालय के समक्ष निकलवाया जायेगा।''

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लांइस, जिला रामपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2017 को मु0अ0सं0–867/2017, अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना प्रारम्भ की। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचना के उपरान्त विवेचक ने मु0अ0सं0–867/2017, में अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त किये जाने पर मामले में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को अर्न्तगत धारा–207 दं0प्र0सं0 अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध दिनांक 28.04.2018 को आरोप अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होने आरोपों से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 04 साक्षी को परीक्षित कराया गया है जो निम्नवत् हैं–

क0सं0	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी0डब्ल्यू0–1	उ0नि0 श्रीओम शुक्ला	वादी मुकदमा/तथ्य के साक्षी
पी0डब्ल्यू0–2	हे0कॉ0 116 रवि प्रकाश शुक्ला	तथ्य के साक्षी
पी0डब्ल्यू0–3	विवेचक उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा	औपचारिक साक्षी
पी0डब्ल्यू0–4	हेड कॉ0 131 योगेश कुमार	तथ्य के साक्षी

उक्त साक्षीगण को परीक्षित कराये जाने के उपरान्त विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की प्रार्थना पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क0सं0	**अभिलेखीय साक्ष्य**	**कागज संख्या**	**प्रदर्श संख्या**	**साक्षी/साबितकर्ता**
1	सहमति पत्र	7क	प्रदर्श क–1	पी0डब्ल्यू0–1
2	फर्द	3क/4 व 3क/5	प्रदर्श क–2	पी0डब्ल्यू0–1
3	गिरफतारी प्रपत्र	13क/6	प्रदर्श क–3	पी0डब्ल्यू0–1
4	नक्शा नजरी	5क	प्रदर्श क–4	पी0डब्ल्यू0–3
5	आरोप पत्र	4क/1 ता 4क/2	प्रदर्श क–5	पी0डब्ल्यू0–3
6	रवानगी जी0डी0	24क	प्रदर्श क–6	पी0डब्ल्यू0–4
7	जी0डी0	13ख/11	प्रदर्श क–7	पी0डब्ल्यू0–4
8	चिक एफ0आई0आर0	3क/1 ता 3क/2	प्रदर्श क–8	पी0डब्ल्यू0–4

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क0सं0	**भौतिक साक्ष्य**	**प्रदर्श संख्या**	**साक्षी/साबितकर्ता**
1	चरस	भौतिक प्रदर्श–1	पी0डब्ल्यू0–1
2	पॉलीथीन	भौतिक प्रदर्श–2	पी0डब्ल्यू0–1
3	सील कपड़ा	भौतिक प्रदर्श–3	पी0डब्ल्यू0–1
4	चरस(नमूना माल)	भौतिक प्रदर्श–4	पी0डब्ल्यू0–1
5	सील कपड़ा(नमूना माल)	भौतिक प्रदर्श–5	पी0डब्ल्यू0–1

अभियुक्त अनिल कुमार के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा बताया। पी0डब्ल्यू0–01 ता साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 के बयानों बयानों को गलत बताया। अभियुक्त द्वारा झूठा मुकदमा चलने का कथन करते हुये बचाव साक्ष्य देने से इंकार किया गया। अभियुक्त की याचना पर बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने से पूर्व इस न्यायालय की राय में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के मुख्य साक्ष्य के सारांश का उल्लेख करना आवश्यक एवं न्यायोचित होगा, जो कि निम्नवत् हैः–

साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उ0नि0 श्रीओम शुक्ला द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 10.11.2017 को वह थाना सिविल लांइस पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उक्त दिनांक को कॉ0 रवि प्रकाश, कॉ0 योगेश कुमार के साथ थाने से रपट नं0–32 समय 14:20 बजे वास्ते देख–रेख शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। जब वे ज्वालानगर से आगापुर रोड़ पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक आदमी आगापुर तिराहे पर खड़ा है जिसके पास चरस है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर पर विश्वास करके उन्होंने जनता के गवाह फरहाम करने की कोशिश की, पर कोई भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। फिर वे मय मुखबिर के एफ0सी0आई0 गोदाम के पास पहुँचे तो मुखबिर ने खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि इसी व्यक्ति के पास चरस है। फिर उन्होंने उसे घेर कर समय करीब 17:00 बजे आगापुर तिराहे पर पकड़ लिया। उसके द्वारा उस व्यक्ति को बताया गया कि उसके पास चरस होने की सूचना है, वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है। यह उसका कानूनी अधिकार है। इस पर उसने माफी मांगते हुए उन्हें बताया कि उसके पास करीब 320 ग्राम चरस है। जिसको वह स्वयं पीता है व रिक्शा चालकों को बेचता है और उसने कहा कि उसे उन पर पूरा विश्वास है। वही उसकी जामा तलाशी ले लें। वह किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने नहीं जाना चाहता। फिर उसके द्वारा अभियुक्त का सहमति पत्र तैयार कर उसको पढ़कर सुनाकर उसके हस्ताक्षर बनवाए। पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्र कागज सं0–7क को देखकर गवाह ने कहा यह उसके द्वारा अभियुक्त की सहमति के बाद तैयार किया गया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। फिर अभियुक्त का नाम पता पूछते हुए उसके द्वारा उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम अनिल पुत्र अशर्फी लाल, निवासी आगापुर, थाना सिविल लांइस बताया और पहनी शर्ट की जेब से एक पॉलीथीन के अन्दर से एक काले रंग का पदार्थ बरामद हुआ। जिसे सूंघने पर उसमें चरस की बू आ रही थी। उसको तौलने पर बरामदा चरस का वजन 320 ग्राम पाया। बरामदा चरस को उसी थैली में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सिलकर नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। पुनः जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की, पर कोई भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर उसके द्वारा बरामदगी के आधर पर तैयार की गयी। फर्द पढ़कर सुनाकर हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनवाये व अभियुक्त को फर्द की नकल देकर उससे प्राप्ति के हस्ताक्षर बनवाये। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द जामा तलाशी कागज सं0–3क/4 व 3क/5 को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द जामा तलाशी उसके लेख व हस्ताक्षर

में है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। जो मुल्जिम हाजिर अदालत की गिरफ्तारी के समय मौके से तैयार की गई थी। अभियुक्त को मय माल थाने लाकर फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया तथा थाने आकर कॉ0 रविप्रकाश द्वारा अभियुक्त के भाई विनोद पुत्र अशर्फी लाल को आपकी गिरफ्तारी की सूचना भिजवायी जो पत्रावली पर प्रारूप–1 व प्रारूप–2 कागज सं0–13क/6 है, जो उसके लेख हस्ताक्षर में है, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। न्यायालय के आदेशानुसार एक सील बंद बण्डल जिस पर अनिल कुमार, मु0अ0सं0–867/2017, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का खोला गया। उसमें से निकली एक गुलाबी रंग की पॉलीथीन जिसके अन्दर निकली चरस को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चरस है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से बरामद हुई थी। चरस पर कब्जे से बरामद हुई थी, पर भौतिक प्रदर्श–1, पॉलीथीन पर भौतिक प्रदर्श–2 व सील कपड़े पर भौतिक प्रदर्श–3 डाला गया। न्यायालय के आदेशानुसार एक दूसरा सील बन्द बण्डल नमूना माल अ0सं0–867/2017 खोला गया। उसमें से निकली नमूना चरस को देखकर गवाह ने कहा कि यह नमूना माल विवेचक द्वारा दौराने विवेचना लिया गया था। नमूना चरस पर भौतिक प्रदर्श–4 व सील कपड़े पर भौतिक प्रदर्श–5 डाला गया।

पी0डब्ल्यू0–02 हे0कॉ0 116 रवि प्रकाश शुक्ला द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 10.11.2017 को वह थाना सिविल लांइस कॉ0 के पर तैनात था। वह उ0नि0 श्रीओम व कॉ0 131 योगेश कुमार के साथ रपट नं0–32 समय 14:20 बजे वास्ते देख–रेख शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अभियुक्त अन्दर इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे। जब वे घूमते फिरते हुए ज्वालानगर से आगापुर रोड़ पहुँचे तो जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति आगापुर तिराहे पर खड़ा है, जिसके पास नाजायज चरस है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास करके उन्होंने जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो भलाई–बुराई के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम बताये चले गये। बहालात मजबूरी पुलिस वालों ने एक दूसरे की आपस में जामा तलाशी ले व देकर इतमिनान किया कि किसी के पास सूचना से संबंधित नाजायज वस्तु नहीं है। पुलिस वालों ने मुखबिर को साथ लेकर आगापुर तिराहे से पहले बांयी तरफ बने एफ0सी0आई0 के गोदाम के पास पहुँचे तो मुखबिर ने आड़ से इशारा करके बताया कि सामने तिराहे पर जो व्यक्ति खड़ा है, वह वही व्यक्ति है, जिसके पास नाजायज चरस है और मुखबिर चला गया। इसके बाद पुलिस वालों ने घेर–घोट कर समय करीब 17:00 बजे आगापुर तिराहे पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति को बताया कि उनके पास, उसके पास चरस होने की सूचना है। उन्होंने उसे बताया कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष दे सकता है। इसका उसे विधिक अधिकार है। इस पर पकड़े गये व्यक्ति ने माफी मांगते हुए बताया कि उसके पास करीब 320 ग्राम चरस है जिसको वह खुद भी पीता है और कुछ रिक्शा चालकों को भी बेच देता है। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अनिल पुत्र अशर्फी लाल निवासी आगापुर थाना सिविल लांइस, रामपुर बताया। जामा तलाशी में पहनी शर्ट की जेब में रखी पॉलीथीन के अन्दर रखा काला पदार्थ बरामद हुआ जिसको खोला सूंघा व हमराहीयान को भी सूंघाया गया जिसमें से चरस की बू आ रही थी। अपने पास किट में से बाट, तराजू निकालकर बरामद चरस का वजन किया गया तो इसका वजन 320 ग्राम पाया जिसको पुनः उसी थैली में रख कर सफेद कपड़े में रखकर सीलकर सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत करा कर हिरासत

पुलिस लिया गया। दौराने गिरफतारी एवं बरामदगी एस0 आई0 द्वारा पुनः जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की तो भलाई–बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर ही उसके द्वारा तैयार कर हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–3क/4 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क–2 अंकित है।

पी0डब्ल्यू0–03 उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि सन् 2017 में वह थाना सिविल लांइस पर बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। थाने पर दर्ज मु0अ0सं0–867/2017, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम अनिल कुमार के मुकदमे की विवेचना उसे सुपुर्द की गयी थी जिसकी चिक एफ0आई0आर की नकले प्राप्त कर सी0डी0–1 दिनांक 11.11.2017 को एफ0आई0आर लेखक के बयान दर्ज किये गये। बयान अभियुक्त अनिल कुमार लिये गये। सी0डी0–2 दिनांक 16.11.2017 को बरामद माल संदिग्ध चरस व नमूना मोहर संबंधित मुकदमा उपरोक्त वजनी 320 ग्राम में से 50 ग्राम बतौर नमूना परीक्षण हेतु सील सर्वे मोहर कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद भेजा जाना नियत किया गया। सी0डी0–3 दिनांक 17.11.2017 को वादी उपनिरीक्षक श्रीओम के बयान लिये गये, उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर जाकर नक्शा नजरी बनाया गया, जो पत्रावली कागज से 5क उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जो उसके द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। सी0डी0–4 दिनांक 24.11. 2017 को परीक्षण हेतु भेजे गये माल का क्रमांक 2093/नार 17 महिला कां0 संजू चौधरी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद में दाखिल किया गया। सी0डी0–5 दिनांक 20.12.2017 को परीक्षण हेतु भेजे गये माल की रिपोर्ट के संबंध में स्मृति पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद भेजा गया। सी0डी0–6 दिनांक 07.01.2018 को पुनः परीक्षण हेतु स्मृति पत्र भेजा गया। सी0डी0–7 दिनांक 01.02. 2018 को नमूना परीक्षण रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त होने पर रिपोर्ट का अवलोकन उपरान्त नमूना माल चरस पाया गया। जिसके उपरान्त उसके द्वारा सम्पूर्ण विवेचना में बयान वादी गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, माल बरामदगी व विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र अशर्फी लाल निवासी ग्राम आगापुर थाना सिविल लाइंस जनपद रामपुर पर जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बखूबी साबित व प्रमाणित है। जिसका आरोप पत्र सं0–59/2018 दिनांक 01.02.2018 को न्यायालय को प्रेषित किया गया जो पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–4 क/1 ता 4क/2 आरोप पत्र उसके हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

पी0डब्ल्यू0–04 हेड कॉ0 131 योगेश कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि वह दिनांक 11.11.2017 को बतौर कॉ0 थाना सिविल लांइस, रामपुर पर नियुक्त था। उक्त दिनाँक को वह, उ0नि0 ओम शुक्ला व अन्य हमराहीयान के साथ थाना हाजा से वास्ते देख–रेख शांति व्यवस्था तलाश संदिग्ध व्यक्ति में रवाना हुआ था। मुखबिर की सूचना पर इस मुकदमे के अभियुक्त अनिल कुमार को पुलिसवालों द्वारा आगापुर तिराहे पर पकड़ा गया था तथा उनके द्वारा उसके पास चरस होने की बात कही थी। चरस की बात पर उसे उसके तलाशी अधिकार से अवगत कराया गया था। अभियुक्त द्वारा पुलिस वालों पर विश्वास दिखाने पर अभियुक्त की सहमति से सहमति पत्र तैयार किया गया था तथा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो इसके पास से पहनी शर्ट की बांयी जेब से पन्नी में चरस बरामद हुई थी। बरामद चरस को विवेचना किट की तराजू से तौलने पर वजन 320

ग्राम पाया गया था। बरामद चरस को मौके पर ही पन्नी सहित एक कपड़े में रख कर सील सर्वे मोहर किया गया व नमूना मोहर बनाया गया था। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी आ–जा रहे जनता के लोगों से गवाही के लिए कहा गया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ व बिना नाम पता बताये चले गये। अभियुक्त को जुर्म धारा–08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया, दौरान गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व दिशा–निर्देशों का पालन किया गया था। फर्द मौके पर ही दरोगा जी ने लिखी थी। फर्द लिखने के बाद सभी को पढ़कर सुनाकर आलामात बनवाये गये थे तथा फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी थी तथा अभियुक्त के आलामात बनवाये गये थे। माल व मुल्जिमान को थाने लाकर दाखिल कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचक ने उसके बयान लिये थे। रवानगी जी0डी0 की प्रति वह आज अपने साथ लेकर आया है, जिसे अपने हस्ताक्षर ते प्रमाणित करके दाखिल कर रहा है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इस मुकदमें के एफ0आई0आर0 लेखक हेड कॉ0 नंदकिशोर शर्मा उसके साथ थाना–सिविल लाईन, रामपुर में तैनात रहे है। वह उनके हस्ताक्षर से भली–भांति परिचित है। उक्त मुकदमें की कायमी जी0डी0 कागज सं0–13ख/11 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे उसके सामने ही कम्पयूटर पर उनके द्वारा टाईप किया गया था, जिसकी वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उक मुकदमें की चिक एफ0आई0आर कागज सं0–3क/1 ता 3क/3 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे उसके सामने ही कम्पयूटर पर उनके द्वारा टाईप किया गया था जिसकी वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

उक्त विशेष वाद में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 10.11.2017 को समय 17:00 बजे बहद स्थान आगापुर तिराहे के पास, अंर्तगत थाना सिविल लांइस जिला रामपुर से अभियुक्त अनिल कुमार को पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उसके कब्जे से 320 ग्राम चरस नाजायज बरामद किया गया अथवा नही ?

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में विरचित किये गये।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

उभय पक्ष के उपरोक्त तर्कों के आलोक में अब यह देखा जाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित कर सका है, अथवा नहीं?

<u>निष्कर्ष</u>

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया हैं। फर्द व सहमति पत्र में अभियुक्त के हस्ताक्षर कराया जाना कहा गया है। फर्द व सहमति पत्र में अभियुक्त के हस्ताक्षर है। जबकि अभियुक्त पढ़ा लिखा नहीं है, वह अंगूठा लगाता है। पत्रावली में नियत तिथियों पर भी उपस्थित होने पर उसके द्वारा निशानी अंगूठा लगाया गया है। जिस कारण फर्द और सहमति पत्र अभियुक्त से संबंधित नहीं है और संदिग्ध हो जाते हैं।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त की जामा तलाशी उसकी सहमति के आधार पर धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ली गयी है एवं धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अनुपालन किया गया है।

उपरोक्त तर्क के विवेचन से पूर्व स्वापक आषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उसके उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं।

<u>धारा 50–स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985</u>

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधो के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो, बिना आवश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा ।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा, जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता ।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा, किंतु अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) कसी स्त्री की तलाशी स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में किसी स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 में उपबंधित है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.11.2017 को समय 17:00 बजे बहद स्थान आगापुर तिराहे के पास, अंतर्गत थाना सिविल लांइस, जिला रामपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके जामा तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 320 ग्राम चरस बरामद हुआ। धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मादक पदार्थों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने की आवश्यकता पड़ती है तब गिरफ्तार करने वाले सक्षम अधिकारी का यह दायित्व है कि अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार की जानकारी दे कि वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित

अधिकारी के समक्ष देना चाहता है तो इस संबंध में वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में में अभियुक्त अनिल कुमार पहनी शर्ट की जेब में रखी पॉलीथीन के अन्दर से 320 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है।

सहमति पत्र प्रदर्श क–1 पत्रावली मौजूद है। सहमति पत्र प्रदर्श क–1 में यह अंकित है कि ''प्रश्न–आप अपनी पहनी शर्ट की जेब में चरस होना बता रहे हैं, अतः आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं आपको क्या कहना हैं? उत्तर–साहब अब तो मैं पकड़ा ही जा चुका हूँ मुझे आप पर पूरा विश्वास है मैं अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं देना चाहता हूँ आप ही मेरी तलाशी ले लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर बनाता हूं''। सहमति पत्र के अवलोकन से दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई है सहमति पत्र में अभियुक्त से प्रश्न किया गया है कि क्या आप अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने देना चाहते हैं। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को मात्र विकल्प दिया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इस आशय का समाधान होता हो कि पुलिस के द्वारा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की तलाशी दिलाने हेतु कोई प्रयास किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 उ0नि0 श्रीओम शुक्ला द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सहमति पत्र तैयार कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाकर उसके हस्ताक्षर कराये जाने का कथन किया है। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 हे0कॉ0 116 रवि प्रकाश शुक्ला द्वारा प्रतिपरीक्षा में सहमति पत्र पर दरोगा जी और अभियुक्त के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिसे स्पष्ट है कि सहमति पत्र तैयार किये जाने के उपरांत उस पर अभियुक्त अनिल कुमार के हस्ताक्षर कराये गये। सहमति पत्र प्रदर्श क–1 पर भी अभियुक्त अनिल कुमार के हस्ताक्षर ही अंकित है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 पर भी अभियुक्त अनिल कुमार के हस्ताक्षर ही अंकित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण के दौरान नियत तिथियों पर उपस्थित आने पर अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा आदेश पत्र के हांशिये पर निशानी अंगूठा लगाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अभियुक्त की रिमांड सीट संलग्न है, जिस पर भी प्रथम रिमांड के समय अभियुक्त का निशानी अंगूठा लगा है, यदि अभियुक्त हस्ताक्षर करना नहीं जानता तो सहमति पत्र व फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है। अभियुक्त द्वारा स्वयं को अनपढ़ होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से इसका खंडन में भी नहीं किया गया है। जिस कारण यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है कि उक्त सहमति पत्र अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा सहमति दिये जाने के उपरांत तैयार किया गया है। ऐसी दशा में सहमति पत्र व फर्द मौके पर तैयार किये जाने और मुकदमा संबंधी अन्य कार्यवाही मौके पर किया जाना स्वयं में संदिग्ध हो जाता। इस प्रकार अभियोजन के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानो का अनुपालन कराया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, वह गलत व फर्जी तरीके से भेजा गया है, माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा भेजा गया, इस संबंध में कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अतिरिक्त बरामद माल पर उचित प्रकार से सील नही लगायी थी तथा इस मुकदमें से सम्बंधित है अथवा नहीं, इस तथ्य को भी अभियोजन पक्ष

साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन की ओर और से मालखाना रजिस्टर और नमूना मोहर प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है। इस कारण भी अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र हैं। बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2, साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उ0नि0 श्रीओम शुक्ला द्वारा साबित की गयी है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्त से कथित माल मुकदमाती बरामद करने के पश्चात माल मुकदमाती को मौके पर ही सील सर्व मोहर किया गया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा इस मुकदमें के विवेचक है। इस साक्षी के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उसके द्वारा की गयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा की मुख्य परीक्षा में इस बात का उल्लेख है कि बरामद माल में से 50 ग्राम बतौर नमूना परीक्षण हेतु सील सर्वे मोहर कर महिला कां0 संजू चौधरी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। जबकि जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, उसका वजन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 51 ग्राम होना दर्शाया गया है। चूकि माल को तौलकर भेजा गया था, इस कारण नमूना माल के वजन में अन्तर आना संदेह पैदा करता है। माल बरामदगी के दिनांक 10.11.2017 से विधि विज्ञाान प्रयोगशाला भेजे जाने तक यह माल कहां रहा, किसके आदेश से यह माल मालखाने से निकाला गया, कब निकाला गया, इस संबध मे कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो घटना को सन्देहास्पद बनाती है।

इसके अतिरिक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्त से कथित माल मुकदमाती बरामद करने के पश्चात माल मुकदमाती को मौके पर ही सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्त को मय नमूना मोहर थाने के मालखाने में दाखिल किया जाना बताया गया है किंतु संबंधित थाने के मालखाना रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अभियोजन की ओर से साबित नहीं कराया गया है और न ही नमूना मोहर पत्रावली पर दाखिल है। यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 में बरामद माल को तराजू बाट से तौला जाना कहा गया है जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 हे0कां0 131 योगेश कुमार द्वारा प्रति परीक्षा में माल तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू होना स्वीकार किया है। इससे दर्शित होता है कि जो माल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, वह इस प्रकरण से सम्बंधित था अथवा नहीं, यह संदिग्ध है। पुलिस द्वारा जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना दर्शाया गया है, वह माल सुरक्षित रहा अथवा नहीं, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त जो माल अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह माल वही माल था जो अभियुक्त के पास से बरामद होना दर्शाया गया है, इस तथ्य को भी अभियोजन पक्ष सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि घटना गांव के पास की होना दर्शाया गया है और जो साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये है, वे सभी पुलिसकर्मी है और हितबद्ध साक्षी हैं और ऐसे साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंड़ित नहीं किया जा सकता है। वचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आज के समय में स्वतंत्र साक्षी मिल पाना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध

भलाई बुराई के कारण गवाही देने से बचता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस साक्षियों का साक्ष्य होने पर अभियुक्त को दंड़ित न किया जा सकता हो।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिचालन किया पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द में अंकित है कि जनता के गवाहान फराहाम करने की कोशिश की तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नही हुआ। इस संबंध में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उ0नि0 ओम प्रकाश शुक्ला ने प्रतिपरीक्षा में जनता का गवाह न मिलाना स्वीकार किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 हे0कॉ0 116 रवि प्रकाश शुक्ला ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''जहां पर हमने फर्द लिखी थी, वहां से जनता के लोग आ जा रहे थे, गवाही के लिए कई लोगों को रोका था लेकिन गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 हेड कॉ0 योगेश कुमार ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि ''घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही थी हमने किसी को जनता का गवाह नहीं बनाया है।'' उक्त साक्षीगण द्वारा घटनास्थल पर जनता के गवाह लिए जाने के संबंध में विरोधाभासी कथन किये गये हैं। उक्त साक्षीगण के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर जनता के गवाह उपस्थित थे परंतु पुलिस द्वारा गवाही के लिए वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। न्यायालय की राय में पुलिस पार्टी द्वारा जनता के गवाह लेने का कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया, नहीं तो फर्द मे उनके नाम पते अवश्य लिखे होते। पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि पुलिस वालो द्वारा जनता के किसी व्यक्ति को गवाही के लिए कहा गया हो और उन व्यक्तियों के द्वारा मामले में गवाही से इंकार करने पर उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो। पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि पुलिस वालो द्वारा जनता के किसी व्यक्ति को गवाही के लिए कहा गया हो और उन व्यक्तियों के द्वारा मामले में गवाही से इंकार करने पर उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो। जो मामले को संदेहास्पद बनाता है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52, 55 एवं 57 का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त को गिरफतार करने के पश्चात प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया और न ही उससे बरामद माल की कोई सूची बनायी गयी और न ही प्रभारी पुलिस स्टेशन द्वारा धारा 55 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन किया गया। इस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध है और सन्देह का लाभ अभियुक्त पाने का पात्र है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया।

उपरोक्त तर्क के विवेचन से पूर्व स्वापक आषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52, 52ए, 55 एवं 57 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उसके उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं ।

धारा 52 गिरफतार किए गए व्यक्ति तथा अभिग्रहीत की गयी चीजों की बावत कार्यवाही :

(1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44, के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफतार करने वाले अधिकारी उसे यथाशीघ्र ऐसे गिरफतारी के कारणों की सूचना देगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन गिरफतार किए गए प्रत्येक व्यक्ति तथा अभिग्रहीत की गयी चीज को बिना अनावश्यक देरी के उस मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा, जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।

(3) धारा 41 की उपधारा (1), धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन गिरफतार किये गये प्रत्येक व्यक्ति और अभिग्रहीत की गयी वस्तु बिना अनावश्यक देरी किये–

(क) निकटतम पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी, या

(ख) धारा 53 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जायेगी।

(4) वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसको कोई व्यक्ति या चीज उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे व्यक्ति या चीज के निपटाने के बारे में विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए ऐसे उपाय करेगा, जो आवश्यक हो।

धारा 55 अधिग्रहीत की गयी और परिदत्त की गयी वस्तुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना

पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश लम्बित रखने तक इस अधिनियम के अधीन उस थाने के स्थानीय क्षेत्र में अधिग्रहीत सभी वस्तुयें जो उसे परिदत्त की जा सके, को लेगा और उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा मे रखेगा और ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने पर आने वाले या इस आशय से प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति को ऐसी वस्तु पर अपनी मोहर लगाने देगा या उन वस्तुओं का और उन वस्तुओं से नमूना लेने देगा और इस प्रकार लिये गये सभी नमूने थाने के भारसाधक अधिकारी की मोहर से भी मोहरबंद किये जायेगें।

धारा 57 गिरफतारी और अधिग्रहणों की रिपोर्ट–

जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफतारी या अधिग्रहण करता है तो ऐसी गिरफतारी या अधिग्रहण के पश्चात अगले 48 घंटों के अन्दर ऐसे गिरफतारी या अधिग्रहण की सभी विशिष्टियों की एक पूरी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी के पास भेजेगा।

इस प्रकरण में अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा उ0नि0 श्रीओम शुक्ला का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके द्वारा अभियुक्त को थाने के भारसाधक अधिकारी के सक्षम पेश करके अभियुक्त से बरामद माल की कोई सूची बनवायी गयी हो, जिससे यह निष्कर्षित होता है कि पुलिस पार्टी द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह माल प्रस्तुत नही किया गया था और न ही उक्त माल उनकी अभिरक्षा में दिया गया था और पुलिस पार्टी द्वारा माल को मालखाना मे दाखिल कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा इस प्रकरण में धारा 52, 55 व 57 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। यद्यपि उपरोक्त धाराओं के प्रावधान आज्ञापक नही हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि पुलिस उक्त प्रावधानों का अनुपालन ही न करे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **रोशनलाल प्रति उ0प्र0 राज्य 2007 (2) जे0आई0सी0 650 इला0** के वाद निर्णय मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 100 द0प्र0सं0 के उपबंधों का अनुपालन नही किया गया, इसके अतिरिक्त धारा 52 व 57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया, गिरफतारी तथा बरामदगी की सूचना अविलम्ब अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी, फर्जी बरामदगी का कथन प्रतिरक्षा में किया गया, स्वतन्त्र साक्षी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बरामद माल के वजन में अंतर पाया गया,

यह सभी ऐसे तथ्य हैं कि जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाने हेतु पर्याप्त हैं। ऐसे में दोषसिद्धि मान्य नही की जा सकती है।

इरशाद अहमद उर्फ शेखू प्रति उ0प्र0 राज्य 2005 (3) जे0आई0सी0 650 340 इला0 के वाद निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 57 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अर्न्तगत गिरफतारी तथा बरामदगी की सूचना लिखित मे ंउच्चाधिकारियों को नही ंदी गयी न ही ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर है, अभियुक्त की दोषमुक्ति की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **थांडी राम प्रति हरियाणा राज्य 2000 एस0सी0सी0 (कि0) 189** के वाद निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 55 व 57 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया, ऐसे में दोषसिद्धि किया जाना विधिक दृष्टि मे ंउचित नही है।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि धारा 52, 52क, 55 व 57 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नही ंकिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक अभिलेखीय साक्ष्यो के विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो की युक्तियुक्त संदेह से परे पुष्टि हो सके।

आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन को अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करना होगा और यदि अभियोजन ऐसा करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा। **विधि व्यवस्था योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य 2016(97) ए.सी.सी. पेज नं0 993 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन के लिए आवश्यक है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करें जब उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो अभिमत सम्भव हो तो, जो मत अभियुक्त के पक्ष में जाता हो उसे अपनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिस कारण अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए, दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अनिल कुमार को अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ देते हुये, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अनिल कुमार कारागार में निरूद्ध है। उसका रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाये। यदि वह किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाये।

अभियुक्त अनिल कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर धारा–437–क दं0प्र0सं0 के अधीन पच्चीस हजार रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू इस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत करे कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहॉ उपस्थित होगा। यह बन्ध पत्र 06 माह की समय अवधि तक प्रभावी रहेगें।

माल मुकदमाती यदि कोई हो तो बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट किया जाये।

दं0प्र0सं0 की धारा 365 के अनुपालन में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर को प्रेषित की जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–22.06.2026

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं0–6, रामपुर।
(J.O.Code-UP2659)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक–22.06.2026

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं0–6, रामपुर।
(J.O.Code-UP2659)